
इकाई 3 वित्तीय लेखपत्र*

संरचना

- 3.0 उद्देश्य
- 3.1 विषय प्रवेश
- 3.2 वित्तीय उपस्कर : संकल्पना एवं अभिलक्षण
- 3.3 प्रकार्य महत्व तथा वित्तीय उपस्करों में भागीदार
- 3.4 वित्तीय उपस्करों के प्रकार
 - 3.4.1 शेयर तथा अन्य शेयर संबंधित उपस्कर
 - 3.4.2 शेयरों की कीमत
- 3.5 विशिष्ट वित्तीय उपस्करों से जुड़ी जोखिमों के स्वरूप
 - 3.5.1 सभी वित्तीय उपस्करों से जुड़े/सामान्य जोखिम
- 3.6 वित्तीय उपस्करों के नियमन
- 3.7 सार संक्षेप
- 3.8 शब्दावली
- 3.9 उपयोगी पुस्तकें एवं संदर्भ
- 3.10 बोध प्रश्नों के उत्तर
- 3.11 सत्रांत प्रश्न

3.0 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई को पढ़ने के बाद आप इस योग्य होंगे कि –

- वित्तीय उपस्करों की संकल्पना और स्वरूप की व्याख्या;
- वित्तीय उपस्करों के प्रकार्यों का स्पष्टीकरण;
- वित्तीय उपस्करों में भागीदारों की पहचान;
- वित्तीय उपस्करों के महत्व का स्पष्टीकरण;
- विभिन्न प्रकार के वित्तीय उपस्करों का वर्णन;
- विभिन्न प्रकार के वित्तीय उपस्करों में निहित जोखिम का विश्लेषण; तथा
- वित्तीय उपस्करों के लिए विनियमन प्रक्रिया की चर्चा।

* प्रो. एस. के. सिंह, प्रोफेसर अर्थशास्त्र (सेवानिवृत्त), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली कृत

3.1 विषय प्रवेश

व्यक्ति विभिन्न उपलब्ध वित्तीय उपस्करों में अपनी उपलब्ध धनराशि का निवेश कर सकता है। ये उपस्कर निवेश करने के माध्यम का कार्य करते हैं। ये किसी ध्येय के लिए माध्यम ही हैं। आजकल बाजार में अनेक वित्तीय उपस्कर उपलब्ध हैं। ये सभी कोष संकलन के कार्य करते हैं। वित्तीय बाजार विश्वभर के लाखों-करोड़ों निवेशकों के सम्मिलन का स्थल है जहां वे अनेक प्रकार के उपस्करों का व्यापार करते हैं। कोई भी ऐसी परिसंपदा जो पूँजी धारण करती हो और जिसका बाजार में लेनदेन हो सकता हो उसे हम वित्तीय उपस्कर कह सकते हैं। भारत में स्टॉक मार्केट में खरीदे-बेचे जा रहे प्रमुख वित्तीय उपस्करों में सम्मिलित हैं : शेयर, स्टॉक, बॉण्ड, व्युत्पन्न म्युचुअल फंड, चैक इत्यादि। इन उपस्करों में निवेश में कुछ वित्तीय जोखिम भी होता है इस जोखिम के कई प्रकार हैं इन उपस्करों के व्यापार में जोखिम का वहन खरीदार ही करता है। वर्तमान इकाई वित्तीय उपस्करों की संक्षिप्त संकल्पना के स्पष्टीकरण के लिए उपस्करों की मूल बातों पर केंद्रित है। साथ ही इसमें उनके प्रकार भेद, प्रकार्य, निहित जोखिमों और विनियामक प्रक्रियाओं का भी वर्णन है।

3.2 वित्तीय उपस्कर : संकल्पना और अभिलक्षण

उपस्कर अमूर्त परिसंपदाएं हैं जिनसे भविष्य में नकदी के दावों के रूप में लाभ मिलने की अपेक्षा होती है। ये व्यापार करने योग्य परिसंपदाएं हैं जो मौद्रिक मूल्य तथा स्वामित्व आदि के विषय में किसी इकाई के एक विधिक समझौता या संविदात्मक अधिकार को स्पष्ट करती हैं। इन उपस्करों का लेनदेन सामान्यतः वित्तीय बाजार में ही होता है। जहां बाजार की शक्तियां उनकी कीमत निर्धारित करती हैं।

इन उपस्करों को नकद और व्युत्पन्न वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। ऋण एवं अंशपूँजी उपस्करों में हो सकता है। तीसरा विशेष वर्ग विदेशी मुद्रा उपस्करों का है। ऋण एवं अंशपूँजी उपस्करों में अगला भेदधारक के उन दावों के अनुसार होता है यदि किसी निश्चित मुद्रा राशि का दावा हो तो वह ऋण उपस्कर है इनकी परिपक्वता अवधि 'अल्प' या एक वर्ष से कम तथा 'दीर्घ' अथवा एक वर्ष से अधिक हो सकती है।

इनकी तुलना में अंशपूँजी उपस्कर जारी करने वाले पर धारक को कुछ भुगतान करने का दायित्व तभी होता है जब लाभ कमाकर उसमें से ऋण भुगतान हो चुके हों। अंशपूँजी उपस्करों के उदाहरण हैं साधारण स्टॉक या व्यवसाय में भागीदारी। किन्तु कुछ प्रतिभूतियों में उपर्युक्त दोनों वर्गों के अभिलक्षण होते हैं। एक उदाहरण वरीयता शेयर का तथा दूसरा परिवर्तनीय बॉण्ड का है।

विदेशी मुद्रा

यह उपर्युक्त वर्गों में शामिल नहीं होती इसका अपना ही विशेष वर्ग है विदेशी मुद्रा के नकद स्वरूप "हाज़िर" बाजार उपस्करों एवं एक्सचेंज में लेनदेन वाले व्युत्पन्न हैं। करेंसी वायदें, पटल पर व्युत्पन्न तथा विदेशी मुद्रा विकल्प और सीधे सीधे भावी सौदे भी विदेशी मुद्रा उपस्कर हैं।

3.3 प्रकार्य, महत्त्व तथा वित्तीय उपस्करों में भागीदार

वित्तीय उपस्करों का लेनदेन वित्तीय बाजारों में होता है जो तीन महत्वपूर्ण प्रकार्य संपन्न करते हैं — ये हैं : कीमत की खोज, तरलता तथा विनिमय लागतों में कमी। कीमत की खोज से आशय उस कीमत का निर्धारण है जिस पर किसी परिसंपदा का विनिमय होता है बाजार का यह प्रकार्य संकेत देता है कि अतिरिक्त कोष वाले व्यक्तियों से, जो उसे निवेश करना चाहते हैं; कोष चाहने वालों में किस प्रकार उस धनराशि का आबंटन किस प्रकार होगा। इस क्रम में वित्तीय उपस्कर जारी होते हैं।

तरलता प्रकार्य निवेशकों को पहले खरीदे गए उपस्कर को अपनी आवश्यकतानुसार बाजार में बेच कर उचित बाजार कीमत पाने का नाम ही है तरलता के बिना तो निवेशक तब तक उस परिसंपदा को धारण करने को विवश हो जायेगा जब तक उसे जारी करने वाले को भुगतान करना जरूरी नहीं हो जाएं या बाजार में उसे भुनाने की परिस्थितियां नहीं बन जाएं।

विनिमय लागत में कमी का प्रकार्य उस समय व्यावहारिक होता है जब वित्तीय बाजार के भागीदार को किसी उपस्कर की बिक्री या खरीदारी पर कोई शुल्क भी देना पड़ता हो। बाजार अर्थव्यवस्थाओं में संस्थानों एवं उपस्करों का अस्तित्व ही इन लागतों को कम करने पर आधारित है वही संस्थान एवं उपस्कर बाजार में टिके रह सकते हैं जो विनिमय लागतों को न्यूनतम स्तर तक ले जा पाएं।

द्वितीयक बाजार वर्तमान प्रतिभूतियों को विक्रेता एवं तरलता प्रदान करते हैं। निवेश को अपने धारित त्रुण पत्र तथा शेयर बेचने के लिए एक तैयार बाजार मिल जाता है। क्रय एवं विक्रय आदेशों की अंतर्क्रिया से वह कीमत निर्धारित हो जाती है जिस पर लेनदेन हो सकता है — इस कीमत निर्धारण में निरंतर शोध एवं सूचनाओं की व्याख्या की भी भूमिका रहती है ये बाजार कीमत निर्गतकर्ता कंपनियों की आर्थिक स्थिति के विषय में, स्टॉक एक्सचेंज को मानक प्रकटीकरण नियमों अनुसार तुरन्त सूचना प्रदान कर देती हैं।

द्वितीयक बाजार के व्यापार के आँकड़ों को ही उन आधारिक सूचकों की रचना के लिए प्रयोग किया जाता है जो अर्थव्यवस्था की क्षमता तथा बाजार के पूँजीकरण का मूल्यमान दर्शाते हैं। ये निगम नियंत्रण में परिवर्तन संभव बना कर सुदक्ष निगम प्रशासन में सहायक रहते हैं। ये कंपनियों के अधिकग्रहण, खरीद, पुनः रचना या विलय आदि के माध्यम से होता है

अनेक प्रकार के वित्तीय उपस्कर होते हैं किन्तु प्रत्येक उपस्कर किसी न किसी निवेशक की जरूरतों को पूरा करता है जोखिम—विरत निवेशक तो बॉण्ड में निवेश करके ही बेहतर रहेगा। इसी प्रकार करेंसी बाजार में निवेश भी निवेशक के अपने चयन और उद्देश्यों पर निर्भर होगा। निर्यात आयात करने वालों को करेंसी उपस्कर अधिक उपयुक्त प्रतीत होंगे।

द्वितीयक बाजार के भागीदार ये होते हैं :

- 1) वे निवेशक जो परस्पर शेयरों का क्रय—विक्रय करते हैं वे ही इस बाजार की धुरी हैं यही तरलता संभव बनाते हैं। और अपने लिए धन का सृजन करते हैं।

- 2) बाजार संरचनात्मक संस्थान – अर्थात स्टॉक एक्सचेंज संशोधन निगम तथा निक्षेपागार। स्टॉक एक्सचेंज बाजार के स्व-नियति प्रथम भाग हैं जहां प्रारंभिक लेनदेन का कार्य होता है समाशोधन निगम उक्त लेनदेनों को पूरा करने का काम करते हैं। निक्षेपागार निवेशकों की ओर से शेयर अपने पास सुरक्षित रखते हैं।
- 3) संरक्षक वे संस्थात्मक मध्यस्थ हैं जो बड़े संस्था के निवेशकों की ओर से कोष एवं प्रतिभूतियां सुरक्षित रखते हैं। इनमें निवेशकों में शामिल हैं : बैंक, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड तथा विदेशी पत्रक निवेशक। ये संरक्षक इन निवेशकों की ओर से लेनेदेन को अंतिम चरण तक ले जाते हैं।
- 4) निक्षेपागार भागीदार इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रतिभूतियों के धारण, अंतण, [हस्तांतरण/प्रेषण](#) तथा उनकी गिरवी रखने एवं उन पर सभी निगमित क्रिया कलापों को पूरा करने के काम करते हैं।
- 5) स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य या दलाल एक्सचेंज तथा निवेशकों के बीच मध्यस्थ हैं और लेनदेन को संकल्पना एवं व्यवहार के स्तरों पर पूरा कराते हैं।

जारी या निर्गत करने वाली कंपनियां तथा अन्य निकाय होते हैं जिनका स्टॉक एक्सचेंज के पास पंजीकरण हो। शेयर, निगम बॉण्ड, वृणपत्र तथा सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियां (G-sec एवं T- Bills)का भी स्टॉक एक्सचेंज में व्यापार होता है इन एक्सचेंजों में प्रतिभूतियां को List या सूचीबद्ध कराने के लिए विशेष पात्रता कसौटियां होती हैं।

अपनी प्रगति की जाँच कीजिए 1

- नोट:** i) अपने उत्तरों के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग करें।
 ii) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपनी प्रगति की जाँच करें।

1) एक वित्तीय उपस्कर क्या होता है?

.....

2) किन्हीं चार वित्तीय उपस्करों के नाम लिखें।

.....

3) वित्तीय उपस्करों के अभिलक्षण क्या होते हैं?

.....

4) वित्तीय उपस्करों के प्रकार बताएं।

.....

5) वित्तीय उपस्करों के अध्ययन का क्या महत्व होता है?

.....
.....

6) वित्तीय उपस्करों में भागीदार कौन होते हैं?

.....
.....

3.4 वित्तीय उपस्करों के प्रकार

सामान्य रूप से तीन प्रकार के वित्तीय उपस्कर होते हैं : नकद उपस्कर, व्युत्पन्न उपस्कर तथा विदेशी मुद्रा उपस्कर। साथ इन उपस्करों को परिसंपदा वर्गों में भी बांटा जा सकता है – जैसे कि अंशपूँजी आधारित या फिर ऋण आधारित। ऋण आधारित उपस्कर 'अल्प कालिक' एवं 'दीर्घकालिक' उपवर्गों में बांटे जाते हैं। विदेशी मुद्रा उपस्कर अपने आप में ही एक विशेष वर्ग हैं – ये न तो 'ऋण' हैं और न ही अंशपूँजी हैं।

वित्तीय उपस्करों का एक अन्य विभाजन 'जटिल' और 'गैर-जटिल' उपस्करों में होता है। जटिल उपस्करों के व्यापारियों को सफल व्यापार के लिए उनकी बड़ी गहराई से जानकारी होनी चाहिए। सबसे अधिक जटिल उपस्कर व्यापार तो व्युत्पन्नो का होता है ये 'अन्तर हेतु संविदा', सौदा संविदा तथा विकल्प के रूप में होते हैं। गैर जटिल उपस्करों के व्यापार के लिए बहुत विस्तृत विशिष्ट जानकारी की जरूरत नहीं होती। इन में शेयर या शेयर प्रतिभूतियां, तथा ऋण प्रतिभूतियां और कुछ एक प्रकार के निवेश फंड उपस्कर शामिल हैं।

नकद उपस्कर : इनका मूल्य प्रत्यक्षतः बाजार द्वारा तय होता है। ये हाज़िर में अन्तरणीय प्रतिभूतियां, ऋण तथा जमा होते हैं जहां ऋणकर्ता तथा ऋणदाता परस्पर अन्तरण पर सहमत हो सकते हैं।

व्युत्पन्न : ये विकल्प, सौदा संविदा जैसे उपस्कर हैं जिन्हें विभिन्न प्रकार के अंतर्निहित परिसंपदा वर्गों के अनुसार जारी (निर्गत) किया जाता है। उनका मूल्य उक्त अंतर्निहित परिसंपदा के मूल्यों पर ही निर्भर रहता है। इन्हें 'व्युत्पन्न' इसलिए कहा जाता है कि ये उन अधिकारों और वित्तीय प्रतिबद्धताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो उनकी अंतर्निहित परिसंपदाओं या देयताओं से उत्पन्न होते हैं। व्युत्पन्न धारक को अन्य व्यक्ति से निवेश काल या परिपक्वता पर ऐसी परिसंपदा पाने का अधिकार देते हैं जिनकी कीमत में उच्चावचन होते हैं या फिर ब्याज दर पा सकते हैं। इन व्युत्पन्नो की कीमत का निर्धारण अनुबंध निश्चित करते समय होता है। दोनों पक्ष बाजार में या आपस में सौदेबाजी कर सकते हैं (OTC पर)। व्युत्पन्न संविदाएं प्रायः वायदा और विकल्प के रूप में होती हैं जिन्हें कई प्रकार से जोखिम के परिहार के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

विकल्प निविदा : ये निविदा किसी अंतर्निहित परिसंपदा को निश्चित तिथि पर निश्चित कीमत पर बेचने या खरीद सकने का अधिकार देता है – पर ऐसा करने की बाध्यता नहीं होती।

सौदा या वायदा निविदा : यह दो पक्षों के बीच ऐसी व्युत्पन्न निविदा है जो भविष्य की किसी नियत तिथि पर नियत कीमत पर किसी अंतर्निहित परिसंपदा की पूर्व निर्धारित मात्रा खरीदने या बेचने का अनुबंध है। आइए हम इन उपस्करों को ठीक से समझ लें :

बॉण्ड : यह दीर्घकालिक ऋण उपस्कर है जिसे जारी करने वाले पर धारक को निश्चित अवधि (परिपक्वता अवधि) के दौरान ब्याज (कूपन भुगतान) तथा अविधि अंत पर मूल राशि चुकानी होती है बॉण्ड ऐसी प्रतिभूति है जो जारीकर्ता का निवेशक के प्रति ऋणी होना दर्शाती है। बॉण्ड खरीदने वाला निवेशक उसे जारी करने वाले को एक धनराशि उधार देता है जिसे परिपक्वता पर वापस चुकाया जाना चाहिए। ब्याज की दर, राशि तथा भुगतान आवृत्ति भी उपर्युक्त ऋणपत्र में ही अंकित होती है। इस प्रकार इसे जारी करने वाला मूलपूँजी जमा ब्याज चुकाने को वचनबद्ध होता है। कुछ शून्य कूपन बॉण्ड भी होते हैं जिनमें बॉण्ड के जीवन काल या परिपक्वता अवधि के दौरान कोई ब्याज नहीं दिया जाता। किन्तु जारी करते समय मूल्य तथा परिपक्वता भुगतान के अन्तर से उस बॉण्ड पर प्रतिप्राप्ति का आंकलन होता है। बॉण्ड के अधिक प्रचलित रूप सरकारी, निगम क्षेत्रीय, उच्च प्रतिप्राप्ति, नगर निकाय तथा सरकारी उपक्रम बॉण्ड होते हैं।

परिवर्तनीय बॉण्ड : यूं तो बॉण्ड ब्याज देने वाले उपस्कर हैं किन्तु निगमों के बॉण्ड में कई बार एक अवधि के बाद उन्हें अंशपूँजी या शेयरों में बदल देने का प्रावधान भी होता है। जैसे बॉण्ड पर प्रतिप्राप्ति प्रायः सामान्य रूप से मिल रहे लाभांश से अधिक होती है। इन बॉण्डों की कीमत कंपनी के शेयरों की कीमत का ही अनुसरण करती है और इसे परिवर्तनीय बॉण्ड के अंकित मूल्य के अनुपात में व्यक्त किया जाता है बॉण्ड सदैव उसके अंकित मूल्य पर परिपक्वता के समय भुगतान किया जाता है और इसी कारण इनमें हानि की जोखिम शेयरों एवं किसी फंड या निधि की अपेक्षा कम होती है। बॉण्ड के शेयर में परिवर्तन पर उसके धारक की नई मान्यता 'शेयरधारी' हो जाती है, वह बॉण्डधारक नहीं रहता। यदि बॉण्डधारक शेयर में परिवर्तन नहीं कराना चाहे तो वे बॉण्ड जारी करने वाले के ऋणदाता बने रह सकते हैं।

आकर्षक (विशेष या असाधारण) : ये उपस्कर विशेष रूप से विन्यासित होते हैं और सामान्यतः बाजार में सुलभ (वनीला) व्युत्पन्नों की अपेक्षा अधिक जटिल होते हैं। इनकी जटिलता या विलक्षणता प्रतिभुगतान के निर्धारण से जुड़ी होती है।

ऋण : ऋण एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा दिया गया उधार है। ये उधारदाता "व्यक्ति" संगठन भी हो सकते हैं। इसी प्रकार ऋण लेने वाले व्यक्ति या संगठन हो सकते हैं। ये राशियां पाने वाला ऋणी होता है और उस पर ऋण वापसी तक ब्याज चुकाने का दायित्व भी होता है। पूरी ऋण राशि लौटाए जाने तक ब्याज की देयता बनी रहती है।

T- Bill या राजकोषीय हुंडियां : ये सरकार द्वारा मुद्रा बाजार से अल्पकालिक ऋण लेने के लिए जारी उपस्कर हैं। इनकी सामान्यतः तीन अवधियां होती है : 91 दि, 182 दिन तथा 364 दिन। भारत में इन्हें रिजर्व बैंक (सरकार की ओर से) जारी करता है और इन्हें अत्यंत तरल माना जाता है।

जमाएँ : जमा एक बचत खाता या चालू खाता हो सकती हैं। भारत में बैंक या डाकघर में धनराशियाँ जमा करना एक लोकप्रिय बचत विधि है। इन पर जोखिम शून्य प्रायः तथा निवेश वापसी सुनिश्चित मानी जाती है।

नकद एवं नकद तुल्य : ये अत्यंत तरल निवेश विकल्प हैं। इन्हें तुरन्त (तीन महीनों के भीतर) नकदी में बदला जा सकता है। इसीलिए इन्हें नकद तुल्य कहते हैं राजकोषीय हंडियां, सोना तथा मुद्रा बाजार निधियां नकद तुल्य हैं।

जमा पुष्टियाँ : (CDs) ये रिज़र्व बैंक के नियमों के अधीन जारी वित्तीय उपस्कर हैं जिनका डीमैट स्वरूप होता है। पुनः भुगतान की राशि इनके निर्गत के समय ही तय होती है। कोई भी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान या अनुसूचित व्यावसायिक बैंक जारी कर सकता है। इन्हें कुछ अंकित मूल्य से काटे (डिस्काउंट) पर जारी किया जाता है। इनमें और सावधि जमाओं में कोई विशेष अंतर नहीं होता – व्यावहारिक रूप में इन्हें कोई विशेष अंतर नहीं है – किन्तु ये जमा पुष्टियां निर्बाध रूप से मुद्रा बाजार में खरीदी-बेची जा सकती हैं जबकि सावधि जमाओं का पुनः भुगतान बैंक की निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार ही हो पाता है।

विदेशी मुद्रा उपस्कर : इनमें मुद्रा विनमय, विदेशी मुद्रा विकल्प, आदि होते हैं। ये मुख्यतः विदेशी मुद्राओं से ही संबंधित होते हैं।

म्युचुअल फंड : इन निवेशों के पीछे मान्यता है कि अनेक निवेशकों की धनराशियां एकत्र कर उसे अनेक प्रकार के वित्तीय उपस्करों में सांझे रूप से लगाया जाएगा। इनमें निवेशक को “इकाईधारक” कहा जाता है और पूरे निवेश से प्राप्त लाभ का इकाईयों की संख्या के अनुसार निवेशकों के बीच बंटवारा होता है। यह फंड व्यक्तियों के समूहों को भी मिलकर निवेश करने की अनुमति देते हैं। निवेश की यह विधि अपनी लागत दक्षता, जोखिम विविधीकरण, व्यावसायिक प्रबंधन तथा अच्छे नियमन के आधार पर बहुत सुपरिचित रहती है।

भारत के म्युचुअल फंडों को शीर्ष अनुक्रमण दिया जाता है क्योंकि इनमें प्रारंभिक निवेश बहुत छोटी छोटी राशियों के हो सकते हैं तथा इनके जोखिम विविधीकृत होते हैं। अधिकांश म्युचुअल फंड रु. 1000 से रु. 10000 तक की किश्तों में निवेश की अपेक्षा करते हैं पर निवेशक किसी व्यवस्थित निवेश योजना (SIP) के माध्यम से रु. 100 से भी निवेश प्रारंभ कर सकते हैं। सामान्यतः निवेश मासिक या फिर त्रैमासिक किश्तों में होता है। इन फंडों द्वारा निवेशकों की आवश्यकताओं के अनुरूप चलाई जा रही योजनाएं सेबी द्वारा अनुमोदित होती है। सेबी पंजीकृत सभी म्युचुअल फंड स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होते हैं और उनका वहां पर व्यापार हो सकता है।

म्युचुअल फंड वर्गीकरण :

संरचनानुसार

(क) open-ended : इनकी परिपक्वता तिथि नहीं होती।

(ख) Close-ended : इनकी निश्चित परिपक्वता तिथि होती है।

निवेश उद्देश्यानुसार

- (क) **संवृद्धि फंड** : अंशपूँजी में निवेश करने वाला फंड।
- (ख) **बॉण्ड/ आय फंड** : ये मूलः सरकारी एवं निगम त्रुणों में निवेश कर स्थिराधार पर आय प्रदान करते हैं।
- (ग) **संतुलित फंड** : ये अंशपूँजी और त्रुणों के मिश्रण में निवेश हैं।
- (घ) **मुद्रा बाजार फंड** : ये मुद्रा बाजार उपस्करों में निवेश करते हैं।
- (च) **अन्य** : कर-बचत योजनाएं (अंशपूँजी संबंधित योजना ELSs) इनमें निवेशक को कर बचत होती है – पर इनमें किए गए निवेश को तीन वर्ष तक भुनाया नहीं जा सकता।
- (छ) **क्षेत्रक फंड** : ये अर्थव्यवस्था के किसी न किसी विशेष क्षेत्रक में निवेश करते हैं – जैसे कि वित्तीय, प्रौद्योगिकी या फिर स्वास्थ्य क्षेत्र।
- (ज) **सूचक फंड** : ये किसी व्यापक बाजार सूचक, जैसे कि सेन्सेक्स या फिर निफ्टी के निष्पादन का अनुसरण करते हैं।

अंशपूँजी अथवा शेयर एवं अन्य शेयर संबंधित उपस्कर

ये वह प्रतिभूति है जिनके धारक उक्त कंपनी के स्वामी होते हैं। सीमित दायित्व कंपनी के शेयरधारकों को उसकी अंशपूँजी के एक हिस्से पर अधिकार होता है। प्रत्येक ऐसा व्यक्ति शेयरधारक होता है। उन्हें कंपनी की महासभा के मतदान का अधिकार होता है। यह महासभा कंपनी की उच्चतम प्रशासक निकाय होती है। जिसके धारक के पास जितने अधिक शेयर हों, वह शेयर पूँजी के उतने अधिक भाग का स्वामी होता है। उसे उतना ही अधिक लाभांश मिलता है और उसका मताधिकार भी उसी अनुपात में होता है। किन्तु शेयरों के वर्ग विभाजन के अनुसार उनके धारकों के मताधिकारों में अंतर हो सकते हैं। शेयरधारकों को लाभांश तभी मिलता है जब कंपनी की आय पर्याप्त हो। लाभांश की गारंटी नहीं होती। कंपनी लाभांश कम या फिर बिल्कुल नहीं बांटने का निर्णय भी ले सकती है। ये शेयर पूँजी कंपनी की स्थाय पूँजी है और इसका कंपनी के जीवनकाल में प्रति भुगतान नहीं होता। कंपनी के दिवालिया होने की दशा में शेयरधारी अपनी पूँजी वापस मांग सकते हैं और उन्हें वरीयता शेयरों सहित अन्य सभी दायित्व चुकाने के बाद ही शेष राशि में से आनुपातिक अंश मिल पाता है।

शेयरों का क्रय-विक्रय स्टॉक मार्केट में होता है। किसी भी शेयर की बाजार कीमत उसकी कंपनी के विगत निष्पादनों पर निर्भर करती है, साथ ही बाजार द्वारा उसके निष्पादन के मूल्यांकन, आर्थिक परिस्थितियों, संबद्ध क्षेत्रकीय जोखिमों और कंपनी विशिष्ट जोखिम भी इस मूल्यांकन में महत्वपूर्ण होते हैं। यदि कंपनी लाभ सृजन करती है तो वह सामान्यतः शेयरों पर लाभांश भी चुकाती है। भारत में शेयरों का सक्रिय व्यापार स्टॉक एक्सचेंजों पर होता है, इनमें प्रमुख हैं BSE तथा NSE है।

प्राथमिक निर्गत के प्रकार और निर्गतकर्ताओं के प्रकार भेद

प्राथमिक बाजार वह है जहाँ नवनिर्गतों के व्यापार या अंशदान कर प्राथमिक शेयर प्रमाण पत्र और बॉण्ड प्राप्त किए जाते हैं। कुछ लोकप्रिय प्राथमिक निर्गतों के प्रकार ये हैं –

सार्वजनिक निर्गत : जनसामान्य की प्रतिभूतियां जारी होती है।

निजी निोजन : चुनिंदा निवेशकों को प्रतिभूतियां जारी होती है। सीमित दायित्व कंपनियां अपने चुने हुए निवेशकों को ही शेयर जारी करती है। इसे भी शेयर निर्गत माना जाता है। ऐसे शेयर जारी होने पर वर्तमान शेयरधारियों के मतों के अनुपात तथा कंपनी की पूँजी में अनुपात, दोनों में कमी होती है। किन्तु उनके शेयरों की संख्या तथा उनके बाजार मूल्य में कमी नहीं होती।

वरीयता निर्गत : ये भी पूर्व निर्धारित निवेशकों को दिए जाते हैं।।

पात्र संस्थानात्मक नियोजन : केवल संस्थानों को शेयर जारी किए जाते हैं।

अधिकार एवं लाभांशीय बोनस निर्गत : ये निर्गत हेतु निश्चित तिथि पर कंपनी के वर्तमान शेयरधारियों को मिलते हैं। यदि किसी सीमित दायित्व कंपनी में शेयर अधिशुल्क राशि एक निश्चित सीमा से अधिक जमा हो जाती है तो कंपनी उसके मूल्य का एक भाग शेयर धारकों को लाभांशीय शेयरों के रूप में दे सकती है। यह उन द्वारा धारित शेयरों के अनुपात में ही होते हैं। बोनस शेयर जारी होने पर बाजार में कंपनी के शेयर की कीमत तो कम होती है किन्तु शेयर धारियों का धारित पूँजी निवेश पूर्ववत् ही रहता है।

3.4.2 शेयर की कीमत

किसी कंपनी के शेयर की बाजार कीमत उसकी संभावनाओं पर ही मुख्यतः निर्भर करती है। कंपनी द्वारा लाभ कमाने के विषय में बाजार भागीदारों के मूल्यांकन एवं आकलन का शेयर कीमतों पर प्रभाव पड़ता है। आर्थिक परिस्थितियाँ, प्रौद्योगिकीय विकास, नवीन विधेयन, और स्पर्धा दशाएँ भी कंपनी के उत्पादन या सेवाओं की माँग को प्रभावित करती हैं और ये भी उसके शेयरों की कीमतों के निष्पादन को निश्चित रूप से प्रभावित करती हैं। वित्तीय बाजार भागीदारों के शेयर कीमत परिवर्तनों को लेकर अलग अलग पूर्वाकलन हो सकते हैं। यह ध्यान रखना चाहिए कि इन कीमतों पर अनेक कारकों का प्रभाव होता है किन्तु सबसे महत्वपूर्ण कारक इनसे हो रही आमदनी है। ये आमदनी कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य का सूचक होती है और इसी कारण ये शेयर कीमत की निर्धारक मानी जाती है।

बाजार मे लेन देन : अर्थात् किसी शेयर का व्यापार भी उस शेयर की कीमत को प्रभावित करता है। अधिक व्यापार वाले शेयर की अधिक मात्राओं का लेन देन उसकी कीमत को प्रभावित किए बिना ही हो जाता है, उसकी तरलता अधिक होती है और इसीलिए उसे खरीदने बेचने में आसानी रहती है। अधिक व्यापार की दशा में कीमत अन्तर – अर्थात् विक्रेता द्वारा माँगी जा रही कीमत तथा खरीदार की पेशकश के बीच अंतर कम रह जाता है।

अपनी प्रगति की जाँच कीजिए 2

नोट: i) अपने उत्तरों के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग करें।

ii) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपनी प्रगति की जाँच करें।

1) बाजार विपणीय एवं गैर विपणीय प्रतिभूतियों में अन्तर बताएं। दोनों के दो-दो उदाहरण दें।

.....

.....

.....

2) परिसंपदाओं को नकदी एवं ऋण वर्गों में विभाजित करें। उसके उदाहरण भी दें।

.....

.....

3) एक शेयर परिसंपदा क्या है? उदाहरण दीजिए।

.....

.....

.....

4) ऐसी दो प्रतिभूतियां बताइए जिनको प्राथमिक बाजार में जारी किया जाता है।

.....

.....

.....

5) द्वितीयक बाजार में किन प्रतिभूतियों का लेन देन होता है?

.....

.....

.....

6) उदाहरणों सहित म्युचुअल फंडों के लाभ और सीमाएं बताइए।

.....

.....

.....

3.5 विशिष्ट वित्तीय उपस्करों से जुड़ी जोखिमों के स्वरूप

सभी वित्तीय उपस्करों में कुछ न कुछ जोखिम तो होता ही है। न्यून जोखिम निवेश युक्ति में भी कुछ अनिश्चितता मो रहती है। अतः संबद्ध जोखिम वित्तीय उपस्कर के निर्गत की विधि एवं संरचना के साथ साथ अन्य अनेक कारकों से प्रभावित होता है। किन्तु कतिपय उपस्कर विशेष तो ऐसे भी हो सकते हैं जिन पर एक से अधिक जोखिम एक साथ लागू हो सकते हैं। इससे निवेशक के लिए जोखिम बहुत अधिक हो सकता है।

किन्तु कुछ विशेष जोखिम भी होते हैं जो सामान्य बाजार जोखिम नहीं बल्कि किसी उपस्कर से जुड़े विशेष कारकों के कारण ही उसकी कीमत में उच्चावचन ला सकती है। इस प्रकार के कुछ सबसे महत्वपूर्ण जोखिम जो विशेष उपस्करों से जुड़ी होती हैं इस प्रकार हैं:

अंशपूँजी/शेयर : इस निवेश में लाभांश नहीं मिलने के साथ ही पूँजी की हानि की जोखिम भी बना रहता है। किसी शेयर का विनियमित पूँजी बाजार में सूचीबद्ध होना उसकी तरलता की गारंटी नहीं है। कंपनी विशिष्ट जोखिम यह है कि कंपनी का निष्पादन अपेक्षा से निम्न रहता है या फिर उसे किसी ऐसी नकारात्मक घटना का सामना करना पड़ जाता है कि उससे संबद्ध वित्तीय उपस्करों के मूल्यों में गिरावट आ जाती है। इसी प्रकार उद्योग विशिष्ट जोखिम उस उद्योग की सभी कंपनियों के निष्पादन का अपेक्षा से कम रहना या ऐसी घटना घटित होना है जो केवल उस उद्योग को दुष्प्रभावित कर गई है। परिणामस्वरूप उस उद्योग की सभी इकाइयों के वित्तीय उपस्करों के मूल्यों में गिरावट आ जाती है।

बॉण्ड : यहां मुख्य जोखिम साख के विस्तार तथा ब्याज की दर विषयक होते हैं – क्योंकि बॉण्ड कीमत तथा ब्याज दर और साख विस्तार में विलोम संबंध होता है। बॉण्डधारी को निर्गतकर्ता द्वारा चूक और तरलता जोखिम का भी सामना करना पड़ सकता है। इनमें अन्य जोखिम का भी सामना करना पड़ सकता है। इनमें अन्य जोखिम अंतर्निहित शेयरों के दामों में अस्थिरता के कारण भी हो सकते हैं। जब बॉण्ड का शेयरों में परिवर्तन होता है तो निवेशक को शेयरों से जुड़े जोखिमों का सामना करना होगा। बॉण्डों के अभिलक्षणों में भी बहुत अंतर संभव है। उच्च प्रतिप्राप्ति बॉण्डों का अपना स्वरूप ही सट्टेबाजी जैसा होता है और उन्हें निवेश वर्ग से निम्न अनुक्रमण ही मिलता है मूडी का Baa अनक्रम या स्टैंडर्ड एवं पूअर का BBB अनक्रम ऐसे ही उदाहरण हैं इनके कूपन अपेक्षाकृत उच्च होना ही यह दर्शाता है कि निवेशकों को अधिक जोखिम होगा।

विपरीत पक्षीय जोखिम : यह है कि त्रुणी समय पर त्रुणशोधन नहीं करता। तीन कारक हो सकते हैं त्रुण का आकार, चूक की संभाव्यता और चूक की दशा में त्रुण पूँजी की हानि का अनुपात। यह किसी त्रुणी की विफलता के संदर्भ में हानि के आंकलन के लिए प्रयोग होने वाले कारक हैं।

व्युत्पन्न : इनकी जोखिम रचना बहुत विविधतापूर्ण होती है। संबद्ध उपस्कर की रचना के अतिरिक्त अधिकांश जोखिम तो व्युत्पन्न संविदाओं के वर्गीकरण से पैदा होती हैं व्युत्पन्नों की जोखिमों के स्वरूप वितान बहुत विस्तृत होते हैं। इसीलिए ऐसे प्रत्येक उत्पाद से संबंधित जोखिम/प्रतिप्राप्ति की युक्तियों को ठीक से समझ कर काम करना आवश्यक होता है। व्युत्पन्नों के संदर्भ में बाजार जोखिम में बाजारीय प्राचलों के मान में परिवर्तनों से उक्त व्युत्पन्न संवेदशीलता सबसे महत्वपूर्ण होती है।

व्युत्पन्नों में निवेश करते समय एक विशेष जोखिम का ध्यान रखना चाहिए। यह उसे व्युत्पन्न की रचना से जुड़ी है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि उपस्कर की कीमत में अंतर्निहित परिसंपदा की कीमत ही झलकती है। इसे **गरारी प्रभाव** कहते हैं। यह व्युत्पन्न उपस्कर की रचना या अनुप्रयोग क्षेत्र के प्रभावों के कारण लाभ या हानि को दर्शाता है।

अतः व्युत्पन्न की अन्तर्निहित परिसंपदाओं और उसकी अपनी बाजार कीमत के उच्चवचन पर ध्यान रखना जरूरी होता है।

3.5.1 सभी वित्तीय उपस्करों से जुड़ी सामान्य जोखिम

ध्यान रहे विभिन्न वित्तीय उपस्करों के लेनदेन की जोखिम के पैमाने बहुत विविधतापूर्ण होते हैं। ये जोखिम कई वर्गों में विभाजित होता है। कुछ जोखिम प्रायः सभी उपस्करों पर लागू होती हैं और उन्हें ही सामान्य जोखिम कहा जाता है। मुद्रा बाजार उपस्करों पर तो अधिकांश जोखिमों का प्रभाव हो सकता है। ये जोखिम इस प्रकार है :

आर्थिक जोखिम : बाजार व्यवस्था की गतिविधियों का वित्तीय उपस्करों की कीमतों तथा विनिमय दरों पर अवश्य प्रभाव होता है कीतें अर्थव्यवस्था में संकुचन या फिर वृद्धि की प्रवृत्ति की अवधि और व्यापकता अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे विविधतापूर्ण बदलावों को ही दर्शाते हैं। आर्थिक प्रवृत्तियों के निवेश कीमतों पर प्रभाव का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अतः निवेशक को सदा ध्यान रखना चाहिए कि उसके निवेश आर्थिक दशाओं के अनुरूप हों और जरूरत हो तो उसे अपने निवेश पत्रक संचय में परिवर्तन करने को तैयार रहना चाहिए।

साख-जोखिम : साख वित्तीय वित्तीय उपस्करों की खरीद में कुछ और जोखिमों भी जुड़ जाती हैं। प्रतिभूतिस्वरूप उपस्करों की कीमतों में परिवर्तन का त्रुणशोधन क्षमता पर विपरीत प्रभाव हो सकता है। यह निर्गतकर्ता या विपरीत पक्ष की भुगतान क्षमता में की कमी का जोखिम है।

बाजार जोखिम : यह अंतर्निहित उपस्कर की बाजार कीमतों में अस्थिरता के कारण उत्पन्न जोखिम है। इसके कारण हो सकते हैं। इन्हें बाजार की ब्याज दर, विनिमय दर, साख प्रसार, शेयर कीमतों, सूचक संबद्ध वस्तुओं की कीमतों में अस्थिरता आदि कारक शामिल हैं। कीमत अस्थिरत जोखिम किसी प्रतिभूति से संबद्ध कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण पैदा हुई जोखिम ही है।

विधिक/राजनीतिक जोखिम : यह संबद्ध कानूनों की अस्पष्टता या उनमें परिवर्तन की आशंका की जोखिम है। किसी नई सरकार द्वारा नए कर लगाना, निवेशक द्वारा खरीदी गई प्रतिभूतियों पर विनियामक या विधिक दायित्व लगाना आदि इसी जोखिम में शामिल हैं उदाहरणार्थ किसी देश की सरकार परिसंपदाएं निर्यात करने पर प्रतिबंध लगा सकती है।

विनिमय दर जोखिम : यह उस सय स्पष्ट होता है जब अंतर्निहित परिसंपदा का मूल्य निवेशक की मुद्रा से भिन्न किसी अन्य मुद्रा में निर्दिष्ट हो। यहाँ विनिमय दर के उतार-चढ़ाव वित्तीय उपस्कर की कीमत में बदलाव ला सकते हैं। फिर तो केवल विनिमय दर मात्र से ही निवेश से लाभ या हानि होने की संभावना हो जाती है।

तरलता जोखिम : तरलता बाजार कीमत पर निवेशक द्वारा किसी भी समय वित्तीय उपस्कर बचे पाने की संभाव्यता को कहा जाता है। – अतः तुरन्त बेच पाने में कठिनाई की जोखिम तरलता जोखिम कहलाती है। बाजार की अपनी तरलता उसके अपने संगठन स्वरूप (स्टॉक एक्सचेंज या पटल पर एक्सचेंज) पर ही नहीं अन्तर्निहित परिसंपदाओं पर भी निर्भर करती है। यदि बाजार में तरलता नहीं है तो उपयुक्त समय पर खरीदार तलाश करना कठिन हो जाता है। किसी भी वित्तीय उपस्कर की तरलता में समय समय पर

बदलाव सकते हैं। मूलतः बाजार में पेशकश और मांग तथा उपसकर के अपने अभिलक्षणों एवं बाजार व्यवहार के कारणों से होने वाली तरलता (या उसके अभाव) में भेद अवश्य करना चाहिए।

मनौवैानिक जोखिम : कई बार अस्पष्ट से कारक भी कीमतों के परिवर्तन क्रम को प्रभावित कर सकते हैं ये कारक हैं; प्रवृत्तियाँ, राय या फिर अफवाहें। ये वित्तीय दशाओं तथा संबद्ध कंपनियों की भावी संभावनाओं की वास्तविकता के विपरीत चित्रण कर सकती हैं।

दैवी प्रकोप : यह मानवीय नियंत्रणों से परे के घटनाक्रम का प्रभाव है जिनका पूर्वांकन नहीं हो सकता न तो वित्तीय उपस्कर निर्गतकर्ता और ना ही बाजार इन दैवी प्रकोपों के लिए उत्तरदायी ठहराए जा सकते हैं। किन्तु यदि ये घटनाएं महत्वपूर्ण हों तो निर्गतकर्ता की दायित्व निर्वहन क्षमता या बाजार की निष्पादन क्षमता को गंभीर रूप से बाधित कर सकती हैं। एक उदाहरण तो पिछले वर्षों की कोविड 19 महामारी ही है।

3.6 वित्तीय उपस्करों का नियमन

विभिन्न वित्तीय उपस्करों का लेनदेने विनियमित बाजारों (स्टॉक एक्सचेंज सहित) में होता है। शेयर, प्राथमिक पूँजी प्रमाण-पत्र बॉण्ड, राजकोषीय प्रतिभूतियाँ, कुछ फंड इकाइयाँ और अनेक प्रकार के वित्तीय व्युत्पन्नों का स्टॉक एक्सचेंज में लेनदेन होता है। ये कार्य एक्सचेंज के व्यापार तन्त्र का प्रयोग करने वाली प्रतिभूति फर्म करती है। विनियमित बाजारों की वेबसाइट पर वहाँ लेनेदेन वाले वित्तीय उपस्करों की कीमतें नियमित रूप से दर्शाई जाती हैं। समाचार पत्र एवं अन्य संचार माध्यम भी उन कीमतों का प्रकाशन करते हैं।

किसी विनियमित बाजार में केवल देशीय और विदेशी सीमित दायित्व कंपनियों के शेयर सूचीबद्ध हो सकते हैं। कंपनी के आकार, व्यावसायिक इतिहास स्वात्वि के व्यापक रूप से विभाजित होने और उस कंपनी की वित्तीय एवं अन्य जानकारियों का नियमित रूप से प्रकाशन होना सूचीबद्ध होने के लिए अन्य अनिवार्यताएं हैं।

शेयरों के सार्वजनिक रूप से जारी किए जाने के लिए भी कुछ विनियामक मानक होते हैं। शेयर निर्गम के प्रशासन विषयक कुछ मुख्य विनियामक व्यवस्थाएं इस प्रकार हैं :

एक सार्वजनिक निर्गम न्यूनतम 3 तथा अधिकतम 10 कार्यदिवस तक खुला रहेगा।

निवेशक इस अवधि में आवेदन कर सकते हैं।

खाता रचना वाले निवेशक भी इस अवधि में अपनी निविदा संशोधित कर सकते हैं।

निर्गतकर्ता कंपनी को सभी निक्षेपागारों के साथ अनुबंध करना होता है।

कंपनियां सेबी के पास पंजीकृत किसी साख अनुक्रमण एजेन्सी से अपनी प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश का अनुक्रमण निर्धारण करवा सकती है।

द्वितीयक बाजार का विनियमन सेबी के नियमों द्वारा होता है सेबी ने लेनदेनसदस्यता और सूचीकरण विषयक नियमों के प्रशासन का अधिकार स्टॉक एक्सचेंजों के सुपुर्द किया हुआ है।

हम पहले ही इकाई 1 तथा 2 में सेबी पर सविस्तार चर्चा कर चुके हैं। वर्तमान इकाई में विनियमन पर चर्चा केवल पाठ्य सामग्री की सतृता और उसे समझने में सरलता के लिए की गई है।

अपनी प्रगति की जाँच कीजिए 3

नोट: i) अपने उत्तरों के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग करें।

ii) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपनी प्रगति की जाँच करें।

1) आपका वित्तीय उपस्करों से संबंधित जोखिमों से क्या तात्पर्य है?

.....

.....

.....

2) अंशपूँजी से जुड़ी जोखिमें बताइए।

.....

.....

3) अंशपूँजी एवं तृण की जोखिमां में अन्तर स्पष्ट करें।

.....

.....

.....

4) विभिन्न वित्तीय उपस्करों से संबंधित सामान्य जोखिमें क्या है?

.....

.....

.....

5) आर्थिक जोखिम तथा परिसंपदा कीमतों के उच्चावचन में भेद स्पष्ट करें।

.....

.....

.....

6) वित्तीय उपस्करों की कीमतों में अनावश्यक अनिश्चितता का परिहार करने में सेबी की क्या भूमिका है?

.....

.....

.....

3.7 सार—संक्षेप

वित्तीय उपस्कर एक वास्तविक या आभासी दस्तावेज हो सकता है जो किन्हीं दो पक्षों के बीच किसी मौद्रिक मूल्यमानधारी विधिक अनुबंध को दर्शाता है। वित्तीय उपस्करों को अमूर्त परिसंपदाएं कहा जाता है। ये किसी भावी नकद प्रवाह पर दावे के रूप में लाभ प्रदान करते हैं और प्रत्येक उपस्कर के अपने विशिष्ट अभिलक्षण होते हैं। इनकी रचना, व्यापार, समाशोधन, परिवर्तन आदि संबद्ध पक्षों की सहमति से होते हैं।

विभिन्न वित्तीय उपस्करों को इन दो मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है : व्युत्पन्न एवं नकदी उपस्कर। व्युत्पन्नों की अपनी अंतर्निहित परिसंपदाओं से ही 'मूल्य' प्राप्ति होती है। वर्गीकरण का एक अन्य आधार वित्तीय उपस्कर की रचना या स्वरूप भी हो सकता है अर्थात् वह वस्तुओं, शेयरों, बॉण्डों, व्युत्पन्नों या फिर विदेशी मुद्रा के उपस्कर हो सकते हैं। जटिलता एवं गैर जटिलता भी वर्गीकरण का एक अन्य आधार है।

निवेश फंड या निधियों में पूर्वोपाय फंड और म्युचुअल फंड शामिल होते हैं। ये निवेशकों को किसी फंड के संचालक/प्रबंधक विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में अपनी बचते संचित कर निवेश करने में सहायक हैं। यह फंड प्रबंधक सामान्यतः निवेशकों की ओर से निवेश निर्णय करता है।

बाजार जोखिम या विपरीत परिवर्तन अंतर्निहित उपस्कर की कीमत में की का ही नाम है। प्रायः किसी वित्तीय उपस्कर में निवेश से लाभ का नाता हानि की जोखिम के साथ रहता है। विभिन्न उपस्करों के बीच हानि की जोखिमों के स्तर अलग अलग होते हैं। अन्य बातों के साथ साथ आर्थिक प्रवृत्तियों, पिछले अच्छे निष्पादन आदि को किसी उपस्कर भविष्य में भी अच्छे कमाऊ निवेश होने की गारंटी नहीं मिल जाती। कीमत में कमी यानि निवेशक को हानि की आशंका सदैव बनी रहती है।

3.8 शब्दावली

अन्तरों के लिए (CFD)

यह वित्तीय व्युत्पन्नों के लिए व्यवस्था है जहां समाशोधन के लिए किसी उपस्कर की प्रारंभिक (opening) तथा अंतिम (closing) कीमतों के अन्तर का नकद भुगतान किया जाता है। भौतिक रूप से वस्तु या प्रतिभूति का अन्तरण नहीं होता ये CFD वस्तुतः निवेशक को प्रतिभूतियों के व्यापार की अत्यंतकालिक दिशा सुझाने हेतु व्यापार करने में सक्षम बनाता है ये विदेशी मुद्रा और वस्तुओं के विषय में अधिक प्रचलित हैं।

व्यवस्थित निवेश योजनाएं (SIPs) : यह निवेश के प्रति एक व्यवस्थित दृष्टिकोण है जिसमें निवेशक बाजार में निवेश हेतु एक छोटी-छोटी रकम में नियमित अंतरालों पर (प्रायः मासिक) बचाता रहता है इस मार्ग को शेयरों और म्युचुअल फंड के लिए बेहतर माना जाता है क्योंकि इससे बाजार में भागीदारी और उसका जोखिम प्रबंधन अधिक बेहतर तरीके से होता है।

ये वित्तीय अनुशासन और भविष्य के लिए धन निर्माण में सहायक है।

सामान्य(वैनीला) विकल्प)

यह विकल्प धारक को अधिकार तो देता है किन्तु उस पर निश्चित अवधि में पूर्वा निर्धारित कीमत पर किसी अंतर्निहित परिसंपदा के क्रय या विक्रय का दायित्व लागू नहीं करता। विशेष प्रावधान या अभिलक्षणों से रहित वैनीला विकल्प को एक माँग या पेशकश विकल्प कहा जाता है। यदि ये मानकीकृत हों तो इनका स्टॉक एक्सचेंज में क्रय-विक्रय हो सकता है।

3.9 उपयोगी पुस्तकें

वित्तीय

3.10 बोध प्रश्नों के उत्तर अथवा संकेत

बोध प्रश्न 1

- i) देखें भाग 3.2
- ii) देखें भाग 3.2
- iii) देखें भाग 3.2
- iv) देखें भाग 3.3
- देखें भाग 3.3
- देखें भाग 3.3

बोध प्रश्न 2

- i) देखें भाग 3.4
- ii) देखें भाग 3.4
- iii) देखें भाग 3.4
- देखें भाग 3.4.1
- देखें भाग 3.4
- देखें भाग 3.4

बोध प्रश्न 3

- i) देखें भाग 3.5
- ii) देखें भाग 3.5
- iii) देखें भाग 3.5

देखें भाग 3.5.1

देखें भाग 3.5.1

देखें भाग 3.5

3.11 सत्रांत प्रश्न

- 1) वित्तीय उपस्कर क्या होते हैं? उनके मुख्य अभिलक्षण बताएं।
- 2) वित्तीय के प्रकार्यो, महत्व और भागीदारों का वर्णन करें।
- 3) प्रत्यक्ष या प्राथमिक प्रतिभूति और अप्रत्यक्ष अथवा द्वितीयक प्रतिभूति में अंतर स्पष्ट करें। भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों में क्रय-विक्रय हो रही प्रतिभूतियों का महत्व बताइये।
- 4) विशिष्ट वित्तीय उपस्करों से संबंधित जोखिमें क्या होती हैं? उदाहरणों सहित उत्तर लिखें।
- 5) सभी वित्तीय उपस्करों से संबद्ध सामान्य जोखिमों का वर्णन करें।
- 6) शेयर कीमतों में उच्चावचन के कारण समझाएं। इनमें कौन से कारक प्रायः दिखाई दे जाते हैं?